श्री भजन लाल : आप दोबारा पूछ लें। (व्यवधान)

श्री सत पाल मित्तल : लेकिन उनको तो भजन लाल फोबिया है न।

श्री भजन लाल : अगर इजाजत देंगे तो मैं बता दूंगा।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति जी, मेरा इससे संबंधित प्रश्न यह है कि दिल्ली में गरीब तबकों खास कर के मजदूर क्लास के ऐसे बहुत से लोग हैं, वेंडर्ज है, रिक्शा चालक और ठेला गाड़ी चलाने वाले लोग हैं इन लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। क्या सरकार इस संबंध में कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे इन अत्याधिक गरीब लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध हो सकें और उनको भी राशन की सुविधा मिल सके।

श्री डी० एल० बैठा : सभापति जी, अभी वर्तमान समय में 19,72,000 के करीब फूड राशन कार्ड इश्यु किये हुये हैं। जहां तक आपने गरीबों की बात कही है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को भी हम लोग टेम्पोरेरी राशन कार्ड इश्यु करते हैं कि इस बीच में अगर कोई स्थाई व्यवस्था हो जाय तो स्थाई रूप से कार्ड इश्यु कर देते हैं। कोशिश यह भी की जाती है कि गरीबों के लिये कार्ड बनाने के लिये विशेष इन्तजाम किये जायें।

श्री चतुरानन मिश्र : मैंने यह पूछा है कि क्या इसके लिये स्पेशल ड्राइव चलायेंगे ताकि उनको राशन मिल सके क्योंकि यह सब से गरीब तबका है। धनी लोगों को तथा जिनके मकान हैं उनको तो आप दे ही रहे है। हमने यह कहा कि जिनके पास कोई स्थान नहीं है जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उनके लिये क्या कोई स्पेशल ड्राइव करेंगे। यह मैंने पूछा है।

श्री डी० एल० बैठा : जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं रहता है वह सर्कल आफिस में आते हैं वहां पर उनका राशन कार्ड बन जाता है। जहां तक स्पेशल ड्राइव करने की बात है हम समझते हैं कि इसके लिये तो हम देखेंगे कि क्या हो सकता है।

श्री चतुरानन मिश्र : क्या हो सकता है, यह नहीं; आप क्या करेंगे यह बतावें ?

श्री सभापति : प्रयास करेंगे, यह कह रहे हैं।

Report of the Committee on Regularisation of Unauthorised Colonies of Delhi

*303. SHRI LAL K. ADVANI:†
SHRI ASHWANI KUMAR:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether a Committee under the Chairmanship of the Secretary, Land and Building Department of the Delhi Administration was constituted to look in the possibility of regularisation of the left-out unauthorised colonies of Delhi;

(b) if so, the main features of its report and its recommendations; and

(c) the follow-up action taken on each of the recommendations so far?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) to (c). A Committee of officers appointed by the Lt. Governor of Delhi has submitted its report in August, 1988. Its recommendations are presently under consideration of the Delhi Administration.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अब इस पर क्या सवाल पूछें ? सभापति जी यह बहुत गम्भीर समस्या है। दिल्ली की आबादी जो 1957 में लगभग 20 लाख थी वह आज 80 लाख से अधिक हो गई है। चार गुना से अधिक बढ़ गई है और प्रतिवर्ष लगभग ढाई लाख की आबादी

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Lal K. Advani.

बढ़ती जाती है । इतनी गम्भीर समस्या है । यह जो अनअथोराइज्ड कालोनीज, बनती हैं यह प्रमुख रूप से इसलिए बनती हैं क्योंकि हम आवास की व्यवस्था कर नहीं सकते, गांवों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर नहीं सकते और इसलिए यह मजबूरन बनती रहती हैं और बढ़ती जा रही है चाहे रेगुलराइजेशन की जितनी व्यवस्था आप करें । लेकिन इस संबंध में मैं यह जानना चाहता था कि यह जो समिति बनाई गई बड़ी चर्चा के बाद मेट्रोपोलिटन काउंसिल में अनाऊंस हुई उसकी क्या क्या सिफारिशें हैं यह तो आप बता सकती हैं । इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सिक्युरिटी का इश्यु नहीं है । क्या-क्या सिफारिशें इन्होंने की हैं और दिल्ली प्रशासन इस पर क्या विचार कर रहा है यह मेरा प्रश्न है ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : सभापति जी, जैसे आडवाणी साहब कह रहे हैं मैं समझती हूं कि इसमें दो राय नहीं है जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है, माइग्रेशन बढ़ रहा है, दिल्ली में जमीन की समस्या है और लोग बसते जा रहे हैं, यह मैं भी मानती हूं कि इस किस्म की बस्तियां बस्ती रहेंगी । मैं आडवाणी साहब को याद दिलाना चाहूंगी कि कुल मिलाकर 607 ऐसी कालोनीज थी उसमें से 339 कालोनीज अभी तक रेगुलराइज की जा चुकी हैं । 56 रिजेक्ट हुई थी और 5 अंडर कंसीडरेशन थीं उस वक्त । तीं इसके बाद यह सोचा गया यह 66 कालोनीज रह रही हैं ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह हिसाब ठीक नहीं बैठा है ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : यह कुल मिलाकर 607 थी जून 1978 को कट आफडेट तक जिसमें से 539 ।

श्री सभापति : अब ठीक हो गया ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह तो 1979 में हो गई थीं ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : जो बाकी बची हैं उनके लिए कहा कि इनको किस तरह से रेगुलराइज किया जा सकता है, इसी के ऊपर एल० जी० ने कमेटी बैठाई थी । हमारी पूरी कोशिश है कि इन कालोनीज को रेगुलराइज करने की बात की जाए । जो आप कह रहे हैं जो यह कमेटी बैठाई थी इसकी सिफारिशात में उन्होंने कहा कि कुछ को रेगुलराइज (**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सिफ़ारिशें मैं जानना चाहता हूं ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं आपको सिफ़ारिशें बता रही हूं । सिफ़ारिश यह थी कि कुछ कालोनीज को उन्होंने कहा कि रेगुलराइज कर देना चाहिये और कुछ के लिए यह कहा कि स्टेंडर्ड रिड्यूस कर देना चाहिये क्योंकि कुछ कालोनीज इतनी ज्यादा डेंसली पापुलेटेड थी कि वहां पर रोडज निकालना और दूसरी फेसिलिटीज देना बड़ा मुश्किल काम है तो उन्होंने कहा कि कुछ में स्टेंडर्ड रिड्यूस कर देना चाहिये । कुछ के लिए यह कहा कि रेगुलराइज कर देना चाहिये और कुछ के लिए यह कहा कि रेगुलराइज नहीं करना चाहिये । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह कहना चाहती हूं कि जब तक उनका जो विचार चल रहा है वह हमारे पास पूरी तरह से रिकमंडेशन न आए तब तक मैं आज इस हालत में नहीं हूं कि आपको यह बता सकूं कि उन खास सिफ़ारिशें क्या हैं और क्या नहीं हैं । लेकिन गवर्नमेंट की यह मंशा है कि इनको रेगुलराइज किया जाए । कुछ को तो रेगुलराइज किया भी है । इनमें से बहुत से कालोनीज हैं जिनको बिजली दी जा रही है । हमारी मंशा है कि जो इकोनोमिकली वीकर सेक्शन हैं उनको हम ज्यादा फेसिलिटीज दे सकें, उनको रेगुलराइज कर सकें । गवर्नमेंट की इसमें मंशा बहुत साफ है ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, इस समय दिल्ली की जनसंख्या लगभग 83 लाख है और उसमें मैं जो

स्लम्स की डेफिनिशन दी गई है उस हिसाब से 50 लाख से ऊपर लोग स्लम्स में रहते हैं पिछले दिनों जो एक महामारी दिल्ली में फैली थी उसमें अनेक कारण थे। लेकिन एक कारण था कि डी० डी० ए० से इनका संचालन ट्रांसफर किया गया कार्पोरेशन को और कुछ महीने तक जब तक यह ट्रांसफर न पूरा हो तब तक उसकी कोई देखभाल नहीं हुई और इस कारण बहुत गंदा पानी उनको मिला। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह ट्रांसफर का प्रोसेस पूरा हो गया और फिर उसके परिणामस्वरूप जो बर्डन दिल्ली नगर निगम पर आया है उनकी व्यवस्था कर सका, उनकी सिविल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का उसके बारे में आवश्यक कदम उठाए गए हैं या नहीं ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : सभापति जी, यह सवाल इससे अलग है लेकिन माननीय सदस्य जानना चाहते है यह उसमें से री-सैटलमेंट कालोनीज का सवाल है और मैं आपको यह इत्तलाह देना चाहती हूं पूरी तरह से वे हैंडओवर कर दिए गए हैं एम० सी० डी० को फ्राम डी० डी० ए० और इसमें पानी की व्यवस्था सब को है झुग्गी झोपड़ी कलस्टर तक है, जहां उनकी पाईप लाइन्ज जाती हैं वहां और जहां नहीं जा सकती है ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपके यह जो टैंकर्ज हैं उनके जरिए व्यवस्था की जा रही है और उनके लिए पक्के पेवमेंट्स बनाने की बात की जा रही है। जो कमियां हैं उनको पूरा करने जा रहे है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अनधिकृत बस्तियों को अधिकृत भी किया गया है वहां पर नक्शे खोले गए हैं कि नहीं ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : यह जो बात आप कर रहे हैं यह अन-अथोराइज्ड कालोनीज की है और जो ट्रांसफर होना था वह सारी री-सैटलमेंट कालोनीज थीं जो डी० डी० ए० से एम० सी० डी० को ट्रांसफर होना था, यह दो बिल्कुल अलग सवाल हैं। जो अनअथोराइज्ड कालोनीज हैं जो अथोराइज्ड हो चकी है539 उनमें जो भी नार्मज हैं वे सब पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन जो अभी अन-अथाराइज्ड हैं उसमें जाहिर है सिवाय इसके कि बिजली दी जा सके और तो अभी कुछ हुआ नहीं, जब तक यह न तय कर लिया जाए कि इनको अथोराइज्ड किया जाए।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : चेयरमैन महोदय, मैं इस सवाल से यह जानना चाहता हूं कि आपने छः सौ कुछ कालोनीज बताई हैं दिल्ली के अन्दर जो अनअथोराइज्ड कालोनीज हैं जिनमें से कुछ रेगुलराइज हो गई है और कुछ होने जा रही है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या अब इसके बाद जो छः सौ कुछ कालोनीज बताई हैं और अनअथोराइज्ड कालोनीज तो दिल्ली मे डिवलैप नहीं हो रही है और उसके लिए क्या रोकथाम हो रही है ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : माननीय सभापति जी, यह जैसा कि आडवाणी साहब कह रहे थे यह सिर्फ 66 कालोनीज नहीं है बल्कि और भी कालोनीज जरूर डिवैलप हो रही होंगी लेकिन मेरे पास उनकी संख्या नहीं है जो डिवैलेप हो रही होंगी और यह 66 कालोनीज वह हैं जो यह जिसमें 607 की बची हुई हैं।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : उनकी रोकथाम के क्या उपाय कर रहें हैं ताकि अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन न हो और अन-अथोराइज्ड कालोनीज डिवैलप न हों और आप इतनी भी समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं और नई डिवैलप होती चली जा रही है तो समस्या तो बढ़ती चली जा रही है। उसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : माननीय सभापति जी, इसकी रोकथाम की पूरी व्यवस्था की जा रही है इसीलिए यह जो एंटी पावर्टी प्रोग्राम्ज इसमें इकोनोमिक रीजन्ज भी है कि जो बड़े शहर हैं उनकी तरफ माइग्रेशन बढ रहा है क्योंकि वे अपनी रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। इसलिए आपको याद होगा कि यह नेशनल कैपिटल रिजन की व्यवस्था

शुरू की गई वह जो प्रोग्राम शुरू किया गया इसलिए कि दिल्ली का माइग्रेशन कुछ कम हो और उसमें सैटेलाइट टाऊन, काउंटर मैगनेट टाउन बने और लोगों को रोका जा सके तथा माइग्रेशन कम हो और दिल्ली की भी प्राब्लम कम हो। हमारी कोशिश है कि आगे ये कालोनीज बढने न पाएं, वेकेंट लैंड दूसरे विकास कार्यों के लिए हों और जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए भी कुछ कर सकें, लेकिन जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि यह प्राब्लम पूरी हम काबू में कर लेंगे।

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Mr. Chairman, Sir, more than 2 million live in Delhi without provision of any basic civic amenities. They live in the open or in thatched houses. The main difficulty is that the present policy takes into account only the housing problem without taking into account their other economic problems. We have provided land to some of them. But they go there, sell the land and again overcrowd Delhi. That is the basic problem. In one way, lot of people will be coming to Delhi from other cities and you will be providing them land. Therefore, providing house sites to homeless people will not solve the problem. What is the integrated approach that the Minister is going to take so that even those who are provided with house sites and sell their land do not overcrowd Delhi by coming back? They sell of the land and come back and overcrowd this area from where they migrated. So, how will that be linked because this migration will continue! They will go and come back. What is the integrated approach to such a problem? How will you link it with the other problem of those migrants?

श्रीमती मोहसिना किदवई : सभापति जी, अगर माननीय सदस्य यह प्रश्न पढ़ते तो यह सवाल माइग्रेशन के ऊपर नहीं है बल्कि यह सवाल अनअथोरेाइज्ड कालोनी की रेगुलराइज करने का है।

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: People there do not have accommodation. They construct thatched huts, they construct some jhuggi jhompris. This is the problem. You think that you provide the land and, therefore, they will settle there. No. They will sell off the land and come back because something to eat is required. Therefore, I asked the question. It is very much linked with it. You cannot stop them.

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष जी।

MR. CHAIRMAN: Dr. Vijaya Mohan Reddy.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: Mr. Chairman, Sir, NBCC has taken up a project for construction of houses for poor Government servants. Since last four years, it is not complete. They are Government servants and these poor people have taken loans. The interest rate and all those problems they are facing. I would request the hon. Minister to investigate why there is delay and take action against the officers who are responsible for the delay.

MR. CHAIRMAN: In Delhi?

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: In Delhi, Sir. And when these houses can be handed over to the people?

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: This is about Housing Society. We want notice. It is constructed by....

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: By the NBCC in Pritampura.

MR. CHAIRMAN: The question is about unauthorised colonies, not about the DDA construction.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: It is authorised, but there is delay.

MR. CHAIRMAN: But the question is about unauthorised colonies. Shri Laxmi Narain.

श्री लक्ष्मी नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता

हूं कि अनधिकृत निर्माण की जो रोकथाम की बात इन्होंने की है, क्या वे इस पर विचार करेंगी कि डी.डी.ए. और म्युनिसिपल कारपोरेशन आफ दिल्ली, जब एक-दो या चार मकान बन जाते हैं, आराम से सोते रहते हैं और जब सौ के करीब मकान बन जाते हैं तो पूरी दिल्ली की पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाते हैं, लाठीचार्ज होता है, फायरिंग होती है, दो-चार आदमी मर जाते हैं, तब उसके बाद कहा जाता है कि हम इस कालोनी अथोराइज्ड करने के लिए पास करने के लिए विचार कर रहे हैं। तो क्या इसकी रोकथाम के लिए आप इस बात पर विचार करेंगी कि जब एक या दो या चार मकान बनते हैं तो डी.डी.ए. और म्यूनिसिपल कारपोरेशन आफ दिल्ली हरकत में आए और उस वक्त उसको देख लें ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, मैं इनसे सहमत हूं। मैंने कोशिश यह की है, आर्डर है कि जो वेकेंट लैंड है, उसकी हिफाजत की जाय और वहां झुग्गी झोपड़ी न पड़ने पायें क्योंकि इसमें बहुत सी प्रोजैक्ट लैंड भी है, जहां पर प्रोजैक्ट आने वाला है, वहां पर भी लोग आ जाते हैं। इस वक्त मेरे पास संख्या नहीं है, लेकिन बहुत से आफीसर के खिलाफ एक्शन लिया गया है, जो उसकी देखभाल करते हैं और सही तरीके से देखभाल जिन्होंने नहीं की और जहां पर कब्जे हो गए। तो मेरे पास इस वक्त संख्या नहीं है, वैसे उनके खिलाफ एक्शन लिया है।

श्री राम चन्द्र विकल : सभापति महोदय, मैं भी आज "ए" और "बी" कर के पूछना चाहता हूं। पहले एक ही सवाल पूछा करता था।

श्री सभापति : ठीक है, लेकिन छोटे-छोटे हों। आपकी दो स्पीच हो गई तो मुश्किल हो जाएगी।

श्री राम चन्द्र विकल : प्रश्न ही करता हूं भाषण नहीं करता मैं कभी भी। पहला तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अनधिकृत कालोनी आप दिल्ली में स्वीकार कर चुके हैं, और भी करने जा रहे हैं ; तो क्या यही सुविधा देश के अन्य राज्यों जसे जी.डी.ए. है गाजियाबाद में या नोएडा है या फरीदाबाद या गुड़गांव या कलकत्ता या बंबई हर शहर के पास आबादी हो रही है, वहां भी अनधिकृत कालोनियों की मंजूरी देंगे या नहीं ? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या, जिससे माननीय मंत्री जी भी परेशान हैं, केन्द्रीय सरकार भी परेशान है इस समस्या के समाधान के लिए क्योंकि यह बढ़ती हुई जनसंख्या समस्याओं के लिए, सुविधाओं के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यह आबादी दिल्ली में आइंदा कम हो, इसके लिए कोई योजना विचाराधीन है ? बहुत बार सोचा गया कि कुछ दफ्तर हटाए जाएंगे और यह भी इंक्वायरी हुई कि पार्लियामेंट का सेसन छह महीने बंगलौर में हुआ करे, दूसरा बेकारी की वजह से लोग आते हैं। तो इन समस्याओं पर कुछ भविष्य के लिए चिंतन हो रहा है या नहीं हो रहा ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष जी, जहां तक पापुलेशन ग्रोथ का मसला है इसमें मैं समझती हूं कि इससे किसी की दो राय नहीं होंगी कि इस वक्त की, इस मुल्क की सबसे बड़ी समस्या यदि कोई है, तो वह बढती हुई आबादी की है और मैं समझती हूं कि इसके लिए सब को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। किसी एक मिनिस्ट्री का ही यह काम है, ऐसा मैं नहीं समझती हूं। दूसरे यह बड़े शहरों की समस्या है और हर स्टेट अपने हिसाब से अपना रोल करती है। अध्यक्ष जी, आप बाम्बे में रह चुके हैं ...(व्यवधान)...हैदराबाद है। हर स्टेट ने अपने-अपने हिसाब से इसको देखा है।

MR. CHAIRMAN: States will decide this question. You have no right to order them.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Yes, Sir,

SHRI N. E. BALARAM: Mr. Chairman, Sir, will the Government make a study about this problem because every day a large number of people are coming and settling down in various colonies. I do not know wherefrom they are coming and why they are coming. Will you make a study about it? Then only you can find a solution. Otherwise you have to regularise unauthorised colonies.

MR. CHAIRMAN: Will you study the problem, why the people are coming?

SHRI N. E. BALARAM: Only after you make a study, can you find a solution to the problem.

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: Sir, people are coming from the neighbouring States. They are coming for want of their *rozi-roti*, construction workers are coming, the people who have no employment in their own districts or in their own Sates are coming. Sir, it is an open fact that they are coming for their livelihood.

MR. CHAIRMAN: Next question No. 304.

Benefit to Horticulture from the Pepsico Project

*304. SHRI V. GOPALSAMY:
SHRI SURESH KALMADI:†

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether the Pepsico project's main thrust is Horticulture and to prevent wastage of fruit and vegetables;

(b) what is the project's benefit to horticulture in terms of rupee value; and

(c) what percentage of the project is in fruit and vegetables?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Development of horticulture is one of the important aspects of the Pepsico-Punjab Agro project. The project envisages an integrated approach in agricultural research, processing and marketing which will help in prevention of wastages.

(b) It is not possible to give benefts to horticulture items of rupee value at this stage. However, the fruit/vegetable unit of the project shall process about 80,000 metric tonnes of different fruits.

(c) Approximately 35 per cent of the turn over of the project will be on processing fruits. Around 1,05,000 tonnes of fruit and vegetables are expected to be consumed by the project at maximum utilisation of the capacity.

SHRI SURESH KALMADI: Sir, the proposal of Punjab Agro is supposed to be basically food processing which will develop horticulture in Punjab and help the farmer get away from the traditional rice and wheat crops. It will help the Punjab farmers to increase their income which has been static. Now, I wonder if the hon. Minister has read an item last week that Godrej has entered into a collaboration agreement with the Unicom group of companies and they are talking specifically of high-yielding disease-free planting of potato seeds, high-yielding hybrid tomato seeds and high-yielding *sangtra* seeds with high oil content. My specific question to the Minister is what are the kinds of seeds that would help horticulture in Punjab which are being brought in by Pepsico and the quantity of each type of seeds.

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, the Pepsico are going to bring in germ-plasma. They have got potatoes like they have got *in* Mexico and they are also going to work in close collaboration with the ICAR and the Punjab Agricultural University to see that whatever is possible under the agreement which the pepsico has got with the Punjab Agro industries, is done.

SHRI SURESH KALMADI: You just mentioned about research etc. What precisely will the Agro Research Centre do in this direction? And does Pepsico have any

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Suresh Kalmadi.